

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 12, मंगलवार, शाके 1948- जून 02, 2026 Jyaistha 12, Tuesday, Saka 1948- June 02, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 26, 2025

संख्या प.9(16)राज-1/2025-24907:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, डूंगरपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि डूंगरपुर जिले की तहसील साबला एवं आसपुर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायतसमिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			प्रस्तावित राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है.में)	जनसंख्या 2011 अनुसार	ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है.में)	जनसंख्या 2011 अनुसार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डूंगरपुर / साबला	वालाई / साबला	भटवाड़ा LG Code 97888	123.143 6	618	हीराखेड़ी Heerakhe di	64.0501	402	1.3	59.09 35
2	डूंगरपुर / आसपुर	नांदली सागोरा / आसपुर	खरोडिया LG Code 97872	365.958 0	1087	पिपलिया Pipaliya	97.6926	380	2.3	268.2 654

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक

कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, इंगरपुर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,
बिरदी चंद गंगवाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।